



प्रेस विज्ञप्ति

17/11/2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई आंचलिक कार्यालय ने मेसर्स वरॉन एल्युमिनियम प्राइवेट लिमिटेड के मामले में भारतीय स्टेट बैंक को 55.85 करोड़ रुपये (2021 में किए गए मूल्यांकन के अनुसार) मूल्य की अचल संपत्तियों की वापसी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 5 के तहत इन संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया था क्योंकि मेसर्स वरॉन एल्युमिनियम प्राइवेट लिमिटेड और समूह की अन्य कंपनियों/व्यक्तियों ने बैंक के साथ धोखाधड़ी की थी और अपने निजी लाभ के लिए बैंक के धन का गबन किया था।

ईडी ने सीबीआई, बीएस एंड एफसी, मुंबई द्वारा मेसर्स वरॉन एल्युमिनियम प्राइवेट लिमिटेड (वीएपीएल) और अन्य के खिलाफ बैंक ऑफ इंडिया और एसबीआई से क्रमशः 293.74 करोड़ रुपये और 401.25 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के आरोप में दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। एलईए ने अपने आरोपपत्र में आरोप लगाया कि केनरा बैंक ने मेसर्स वीएपीएल की ओर से अपनी समूह कंपनी मेसर्स वीएसीपीएल के पक्ष में 300 करोड़ रुपये का मैनुअल लेटर ऑफ क्रेडिट जारी किया था और बैंक ऑफ इंडिया ने बिना उचित सत्यापन के फर्जी दस्तावेजों के आधार पर इसे भुना लिया।

ईडी की जाँच से पता चला कि प्रत्येक लेटर ऑफ क्रेडिट का भुगतान वीएपीएल, वीआईपीएल और अन्य फर्जी संस्थाओं के पक्ष में नए लेटर ऑफ क्रेडिट खोलकर किया गया था और यह प्रक्रिया पहले लेटर ऑफ क्रेडिट के खुलने के बाद से ही अपनाई गई थी। पुराने ऋणों को चुकाने, वीएपीएल और समूह की कंपनियों द्वारा अन्य बैंकों से लिए गए नकद ऋण की देनदारी को कम करने और खातों में वृद्धि करने के लिए चक्रीय तरीके से ऋण लिए गए थे। जाँच के दौरान, ईडी ने अपराध की आय (पीओसी) की पहचान की और कुल 179.27 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों की कुर्की के लिए दो कुर्की आदेश जारी किए।

पीएमएलए की धारा 8(8) के प्रावधान के अनुसार, कुर्क/जब्त की गई संपत्तियों को उनके असली मालिकों/वैध दावेदारों और मनी लॉन्ड्रिंग के पीड़ितों को वापस करना अनिवार्य है जिसका उपयोग उन मामलों में सही मालिकों को संपत्ति वापस करने के उद्देश्य से किया जाता है जब यह निर्धारित हो जाए कि संपत्ति अवैध तरीकों से अर्जित की गई है, लेकिन कानूनी तौर पर निर्दोष पक्षों की है।

ईडी सही मालिकों/वैध दावेदारों और धन शोधन के पीड़ितों को संपत्ति की वापसी के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है और बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों सहित सभी प्रभावित पक्षों को ईडी द्वारा कुर्क/जब्त की गई संपत्तियों की वापसी और ऐसी संपत्तियों के संबंध में उनके दावे की बहाली के लिए पीएमएलए की धारा 8(8) के प्रावधान का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

वैध दावेदारों के दावों की बहाली के लिए ईडी द्वारा किए गए निरंतर प्रयासों के कारण, वर्ष 2021 में किए गए मूल्यांकन के अनुसार, एसबीआई ने 55.85 करोड़ रुपये मूल्य की तीन कुर्क संपत्तियों का दावा करने के लिए पीएमएलए की धारा 8(8) के तहत माननीय सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, बॉम्बे की अदालत में एक विविध आवेदन दायर किया।

उपर्युक्त उद्देश्यों के अनुसरण में, अदालती कार्यवाही के दौरान, ईडी ने माननीय विशेष न्यायालय पीएमएलए, मुंबई के समक्ष एक हलफनामा दायर किया, जिसमें एसबीआई द्वारा अपने विविध आवेदन के माध्यम से दावा की गई कुर्क संपत्तियों की बहाली के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की, और तदनुसार, माननीय विशेष न्यायालय पीएमएलए ने 26.09.2025 के आदेश के तहत, एसबीआई के आवेदन को अनुमति दी और उसे 55.85 करोड़ रुपये मूल्य की 3 अचल संपत्तियों की बहाली का आदेश दिया।